

विषय:-अवमानना याचिका क्रमांक 390/2014(याचिका डब्ल्यू.पी. 11703/13) द्वारा श्री अर्जुनलाल उपाध्याय विरुद्ध म.प्र.शासन में पारित निर्णय के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से,

अतएव अवमानना प्रकरण में नियत तिथि . 28.03.16 के पूर्व मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दि. 22.01.16 को एस.एल.पी. याचिका 874/16 को डिसमिस किये जाने के विरुद्ध अपील की जाकर निवेदन किया जावे कि उच्च न्यायालय को निर्देशित प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करें अथवा याचिका डब्ल्यू.पी. 11703/13 में पारित निर्णय दि. 05.05.14 के विरुद्ध उच्च न्यायालय इंदौर में पुनः सुनवाई हेतु शासन के नियमित अधिवक्ता एवं विधि विभाग से परामर्श लिया जाकर शासन की ओर से याचिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार शासन स्तर से निर्णय लिये जाने हेतु नस्ती शासन को अंकित करना चाहे।

सहा.अधी.-अवकाश पर।

सहा.संचालक

सुशील कुमार परसाई
उप संचालक

क्रमांक/स्था0-4/बी/अव.प्रक./2016

विषय:-अवमानना याचिका क्रमांक 390/2014(याचिका डब्ल्यू.पी. 11703/13) द्वारा श्री अर्जुनलाल उपाध्याय विरुद्ध म.प्र.शासन में पारित निर्णय के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से,

कृपया प्रकरण में नोटशीट 23 पर सहायक संचालक विधि द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासकीय अधिवक्ता का अभिमत उपलब्ध कराया जो व्य.पृष्ठ संलग्न है। अतः प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

श्री अर्जुनलाल उपाध्याय की विकास खंड शिक्षा अधिकारी मंदसौर द्वारा आदेश दिनांक 3.5.1990 के द्वारा आकस्मिक भृत्य पद 89 दिवस के लिये शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़वन में कि गई थी।(व्य. पृ.-13 पर) उसके पश्चात वे निरंतर सेवा में कार्यरत रहे।

1. श्री अर्जुनलाल उपाध्याय आकस्मिक निधि भृत्य, द्वारा 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु मान. न्यायालय में याचिका डब्ल्यू.पी.6997/13 दायर की गई जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दि. 24.06.13 को निर्णय पारित कर अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लेते हुये स्पीकिंग आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये हैं(व्य.पृ.-4 पर)। निर्णय के अनुक्रम में संबंधित द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण कर जि.शि.अ. मंदसौर के आदेश दि.31.08.13 द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किया गया(व्य.पृ.-05 से 06 पर)।

2. संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किये जाने से क्षुब्ध होकर मान. न्यायालय के समक्ष पुनःयाचिका डब्ल्यू.पी. 11703/13 दायर की गई (व्य.पृ.-07 से 42पर) जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दि. 05.05.14को सीधे निर्णय पारित कर दो माह की समयावधि में वांछित लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये(व्य.पृ.-43 से 47 पर)। मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि. 05.05.14 के संबंध में शास. अधिवक्ता द्वारा दिये गये अभिमत (व्य.पृ.-48 पर अनुसार रिट अपील डब्ल्यू.पी. 796/14 म0प्र0 शासन विरुद्ध श्री अर्जुनलाल उपाध्याय प्रस्तुत की गई(व्य.पृ.-49 से 52 पर)। शासन की ओर से दायर उक्त रिट अपील पर मान. न्यायालय द्वारा विलंब से रिट अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण बिना सुनवाई किये दि. 03.02.15 को प्रकरण डिसमिस कर दिया गया(व्य.पृ.-148 से 150 पर)। मान.न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि. 03.02.15 के संबंध में शास. अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत(व्य.पृ.-151 से152 पर) के अनुक्रम में एस.एल.पी. याचिका 874/16 मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई।उक्त एस.एल.पी. याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई दि. 22.01.16 को विलंब से याचिका प्रस्तुत करने का उल्लेख करते हुये डिसमिस कर दिया गया।(व्य.पृ.-155 पर)मान.उच्चतम न्याया. के निर्णय पर म.प्र. के कौंसिल श्री सी.डी.सिंह द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2016 को यह अभिमत दिया है कि शासन न्यायालय निर्णय दिनांक 03.02.15 ऑर्डर का पालन करे(व्य.पृ.-174 पर)।

3. संबंधित द्वारा याचिका डब्ल्यू.पी. 11703/13 में पारित निर्णय दि. 05.05.14 का पालन न होने के कारण अवमानना याचिका 390/15 प्रस्तुत की गई जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दि. 29.01.16 को निर्णय पारित करते हुये निर्देशित किया गया कि दि. 28.03.16 तक याचिकाकर्ता को भुगतान करें अन्यथा प्रतिवादी समक्ष में उपस्थित होकर स्थिति से अवगत करावें।

अतः कार्यालयीन प्रस्ताव यह है कि सर्वोच्च न्यायालय से याचिका डिसमिस किये जाने के कारण संबंधित श्री अर्जुनलाल उपाध्याय, आकस्मिक निधि भृत्य को प्रथम क्रमोन्नति का लाभ एवं ऐरियर्स राशि का भुगतान किया जाना होगा जबकि शासन नियम निर्देश अनुसार आकस्मिक निधि भृत्य के पद पर कार्यरत लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जाता। यदि संबंधित को उक्त लाभ प्रदान किया जाता है तो यह उदाहरण बनकर स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग में कार्यरत आकस्मिक निधि भृत्यों के साथ अन्य विभाग के आकस्मिक निधि भृत्य भी क्रमोन्नति प्रदान किये जाने की मांग करेंगे जिससे शासन को अत्यधिक व्यय भार आवेगा और शासन नियमों के विरुद्ध होगा।

विषय:-अवमानना याचिका क्रमांक 390/2014 द्वारा श्री अर्जुनलाल उपाध्याय विरुद्ध श्री एस.आर मोहन्ती आदि में पारित निर्णय के संबंध में ।

संक्षेपिका

श्री अर्जुनलाल उपाध्याय की विकास खंड शिक्षा अधिकारी मंदसौर द्वारा आदेश दिनांक 3.5.1990 के द्वारा आकस्मिक भृत्य पद 89 दिवस के लिये शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़वन में कि गई थी।(व्य.पृ.-13 पर) उसके पश्चात वे निरंतर सेवा में कार्यरत रहे।

श्री अर्जुनलाल उपाध्याय आकस्मिक निधि भृत्य, द्वारा 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु मान. न्यायालय में याचिका डब्ल्यू.पी. 6997/13 दायर की गई जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दि. 24.06.13 को निर्णय पारित कर अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लेते हुये स्पीकिंग आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये है(व्य.पृ.-4 पर) । निर्णय के अनुक्रम में संबंधित द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण कर जि.शि.अ. मंदसौर के आदेश दि.31.08.13 द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किया गया(व्य.पृ.-05 से 06 पर) ।

संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किये जाने से क्षुब्ध होकर मान. न्यायालय के समक्ष पुनःयाचिका डब्ल्यू.पी. 11703/13 दायर की गई (व्य.पृ.-07 से 42पर) जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दि. 05.05.14 को सीधे निर्णय पारित कर दो माह की समयावधि में वांछित लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये(व्य.पृ.-43 से 47 पर) । मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि. 05.05.14 के संबंध में शास. अधिवक्ता द्वारा दिये गये अभिमत(व्य.पृ.-48 पर) अनुसार रिट अपील डब्ल्यू.पी. 796/14 म0प्र0 शासन विरुद्ध श्री अर्जुनलाल उपाध्याय प्रस्तुत की गई(व्य.पृ.-49 से 52 पर)। शासन की ओर से दायर उक्त रिट अपील पर मान. न्यायालय द्वारा विलंब से रिट अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण बिना सुनवाई किये दि. 03.02.15 को प्रकरण डिसमिस कर दिया गया(व्य.पृ.-148 से 150 पर) ।

मान.न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि. 03.02.15 के संबंध में शास.अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत(व्य.पृ.-151 से 152 पर) के अनुक्रम में एस.एल.पी. याचिका 874/16 मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त एस.एल.पी. याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई दि. 22.01.16 को विलंब से याचिका प्रस्तुत करने का उल्लेख करते हुये डिसमिस कर दिया गया।(व्य.पृ.-155 पर)

मान.उच्चतम न्याया. के निर्णय पर म.प्र. के कौंसिल श्री सी.डी.सिंह द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2016 को यह अभिमत दिया है कि शासन न्यायालय निर्णय दिनांक 03.02.15 ऑर्डर का पालन करे(व्य.पृ.-174 पर) ।

संबंधित द्वारा याचिका डब्ल्यू.पी. 11703/13 में पारित निर्णय दि. 05.05.14 का पालन न होने के कारण अवमानना याचिका 390/15 प्रस्तुत की गई जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दि. 29.01.16 को निर्णय पारित करते हुये निर्देशित किया गया कि दि. 28.03.16 तक याचिकाकर्ता को भुगतान करें अन्यथा प्रतिवादी समक्ष में उपस्थित होकर स्थिति से अवगत करावें ।

सर्वोच्च न्यायालय से याचिका डिसमिस किये जाने के कारण संबंधित श्री अर्जुनलाल उपाध्याय, आकस्मिक निधि भृत्य को प्रथम क्रमोन्नति का लाभ एवं ऐरियस राशि का भुगतान किया जाना होगा जबकि शासन नियम निर्देश अनुसार आकस्मिक निधि भृत्य के पद पर कार्यरत लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जाता। यदि संबंधित को उक्त लाभ प्रदान किया जाता है तो यह उदाहरण बनकर स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग में कार्यरत आकस्मिक निधि भृत्यों के साथ अन्य विभाग के आकस्मिक निधि भृत्य भी क्रमोन्नति प्रदान किये जाने की मांग करेंगे जिससे शासन को अत्यधिक व्यय भार आवेगा और शासन नियमों के विरुद्ध होगा। अतएव अवमानना प्रकरण में नियत तिथि . 28.03.16 के पूर्व मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दि. 22.01.16 को एस.एल.पी. याचिका 874/16 को डिसमिस किये जाने के विरुद्ध अपील की जाकर निवेदन किया जावे कि उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जावे या याचिका डब्ल्यू.पी. 11703/13 में पारित निर्णय दि. 05.05.14 के विरुद्ध उच्च न्यायालय इंदौर में पुनः सुनवाई हेतु शासन के नियमित अधिवक्ता एवं विधि विभाग से परामर्श लिया जाकर शासन की ओर से याचिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

शा. प्रशा. भा. लि.	95
आ. 02	7-13
दिनांक	

प्रति,

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय,
जिला शिक्षा मन्दसौर

द्वारा :- उचित माध्यम / वैधानिक मासे

विषय :- सामान्य प्रशासन विभाग & वेतन आयोग प्रकोष्ठ & मंत्रालय, श्रीवाल
के परिषद दिनांक 19-4-1999 के अनुसार शासकीय सेवकों के लिये
क्रमोन्नति योजना के बालन में प्राप्ति को प्रथम क्रमोन्नति देने बाबत।

संदर्भ :- W.P.N. 6997/2013 & अर्जुनलाल उपाध्याय विरुद्ध म0प्र0 शासन आदेश
आदि में पारित आदेश दिनांक 24-6-2013

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में प्राप्ति की ओर से अभ्यावेदन निम्ना
प्रस्तुत है।

- 1: प्राप्ति की प्रथम नियुक्ति दिनांक 03-05-1990 को हुई थी। उसके पश्चात् लगातार
आज दिनांक तक शासन की सेवा में कार्यरत है।
- 2: प्राप्ति को दिनांक 9-10-1995 के आदेशानुसार वेतनमान दिया गया था।
- 3: प्राप्ति को दिनांक 6-5-2000 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। जिसके विरुद्ध प्राप्ति
द्वारा ट्रिब्यूनल से स्टे आर्डर प्राप्त किया था तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
याचिका स्वीकार कर कार्य मुक्ति आदेश को दिनांक 19-2-2004 को निरस्त कर
दिया था।
- 13.4: प्राप्ति द्वारा वेतन निर्धारण संबंधी एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत
की थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 28-2-2005 द्वारा वेतन निर्धारण का आदेश
दिया था किन्तु दिनांक 10-8-2007 को जारी आदेश के पश्चात् आज तक प्राप्ति
को क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया।
- 5: कई बार निवेदन करने पर भी कोई कार्यवाही क्रमोन्नति दिये जाने के संबंध में नहीं
करने के कारण प्राप्ति द्वारा दिनांक 7-6-13 को प्रार्थना-पत्र पेश किया मगर कोई
कार्यवाही नहीं की गई न ही लिखित में कोई आदेश दिया गया तो प्राप्ति द्वारा
उक्त संदर्भित याचिका माननीय उच्च न्यायालय बड़ौठा इन्दौर में पेश की गई
- 6: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न पेश कर प्राप्ति की
ओर से निवेदन किया।